

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2014

जयपुर, दिनांक:- 31.07.2025

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी डॉ. देवराज, निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर को, निदेशक, निरीक्षण विभाग जयपुर के अवकाश से लौटने तक, अपने पद के कार्य के साथ-साथ निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर व निदेशक, निरीक्षण विभाग जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन जैन) 31.7.25
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
4. संबंधित अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


31.7.25
संयुक्त शासन सचिव